

अधिकारी, गोमिया (बोकारो)

03 / 2022-23

:- विविध वाद

:- गोमिया

जिला - बोकारो

आदेश फलक

2

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

3

3-07-21

आवेदक- हंस हासदा, पिता-स्व० मिस्त्री माँझी, ग्राम-धवैया, पोस्ट-कण्डेर, थाना-महुआटॉड़, जिला-बोकारो द्वारा आवेदन प्राप्त है। उक्त आवेदन में आवेदक द्वारा वर्णित किया गया है कि खाता सं०-03, रैयती खेवला माँझी, कुल रकवा-22.69ए०, जमीन में प्लॉटों से कुल रकवा-22.69ए० जमीन में 1.95ए० जमीन ग्राम-धवैया, पो०-कण्डेर, जिला-बोकारो निवासी गौहर मियाँ के नाम पर खरीद बिक्री हुआ है। शेष जमीन कुल रकवा-20.74ए० है। जिसका माल-गुजारी रसीद वर्ष-1978-79 से 2006 -07 तक निर्गत है। आवेदक द्वारा खाता सं०-03, रकवा-20.74ए० जमीन सत्यापन करने का अनुरोध किया है। आवेदन पत्र जाँच हेतु राजस्व उप निरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक को दें। तत्पश्चात् अभिलेख दिनांक-04/07/2022 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
गोमिया।

04-07-22

अभिलेख उपस्थापित।

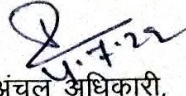
राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा संयुक्त जाँच हल्का में उपलब्ध मौजा-धवैया अन्तर्गत खाता सं०-03 के राजस्व कागजातों के जाँचोपरान्त प्राप्त है। जिसका विवरण निम्नवत् है :-

प्लॉट सं०	रकवा (ए० में)	प्लॉट सं०	रकवा (ए० में)	प्लॉट सं०	रकवा (ए० में)	अभ्युक्ति
45	0.19ए०	311	1.87ए०	548	1.04ए०	-
46	1.55ए०	312	0.33ए०	595	0.92ए०	-
93	3.78ए०	314	0.26ए०	805	0.09ए०	-
148	0.06ए०	315	0.07ए०	336	0.25ए०	-
149	0.77ए०	316	0.11ए०	804	0.06ए०	-
190	1.37ए०	320	0.57ए०	-	-	-
263	0.08ए०	321	0.63ए०	-	-	-
264	2.51ए०	322	0.46ए०	-	-	-
265	0.49ए०	333	0.11ए०	-	-	-
281	1.24ए०	339	0.14ए०	-	-	-
309	1.39ए०	508	0.40ए०	-	-	-
कुल रकवा:-					20.74ए०	-

उक्त आदेश के आधार पर खाता सं०-03, कुल प्लॉट-30, कुल रकवा-22.69ए०, मध्ये शेष रकवा-20.74ए० है। पंजी-II के पृष्ठ सं०-5, भौलुम सं०-I पर खेवला

पंजी, पिता-खडरा मौंझी, मौजा-धवैया, थाना सं०-53, खाता सं०-03, रकवा-20.04ए० भूमि, की जमाबन्दी दर्ज है।

अतः अंचल कार्यालय से आवेदक को नोटिस निर्गत कर मूल कागजात देखने के पश्चात् ही अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है। अतः आवेदक को उक्त भूमि से संबंधित मूल कागजात प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत करें। तत्पश्चात् अभिलेख दिनांक-12/07/2022 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
गोमिया।

12-07-22 अभिलेख उपस्थापित।

अभिलेख का अवलोकन किया गया। राजस्व उप निरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा संयुक्त जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। अद्योहस्ताक्षरी की व्यस्तता के कारण उक्त वाद की सुनवाई हेतु अगली तिथि निर्धारित की जाती है। आवेदक को पुनः सूचना निर्गत करें। तत्पश्चात् अभिलेख दिनांक-18/07/2022 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
गोमिया।

18-07-22 अभिलेख उपस्थापित।

अभिलेख का अवलोकन किया गया। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में दिनांक-18.07.2022 को आवेदक मूल कागजात के साथ उपस्थित हुए। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा राजस्व उप निरीक्षक को निदेशित किया गया कि आपके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रतिवेदन अंकित भूमि सर्वे खतियान के आधार पर खाता सं०-03, कुल प्लॉट-30, कुल रकवा-22.69ए०, मध्ये बिक्री रकवा-1.95ए०, शेष रकवा-20.74ए० भूमि, पंजी-II से रकवा, प्लॉटवार मिलान कर स्पष्ट प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि उक्त वाद से संबंधित सुनवाई की जा सके। तत्पश्चात् अभिलेख दिनांक-25/07/2022 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
गोमिया।

25/07/22 अभिलेख उपस्थापित।

अभिलेख का अवलोकन किया गया। राजस्व उप निरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा संयुक्त जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित है कि पंजी-II के अनुसार ग्राम-धवैया, थाना सं०-53, अन्तर्गत खाता सं०-03, कुल प्लॉट सं०-30, कुल रकवा-22.69ए० भूमि दर्ज है। जिसमें 1.95ए० भूमि बिक्री की गई। 1.95ए० भूमि के आलावे कोई भी भूमि बिक्री करने का प्रमाण पंजी-II में दर्ज नहीं है। अतः शेष रकवा-20.74ए० भूमि, आवेदक के नाम से सत्यापित किया जाता है। सत्यापन संबंधी Form-VI-D, परियोजना पदाधिकारी, रजरप्पा, ब्लॉक-II को भेजें।


अंचल अधिकारी,
गोमिया।